फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कृपाली बनाम हेमन्त वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकास्मा मु0नं0–49/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीया द्वारा न्यायालय के समक्ष दावा तकास्मा बाबत पेश किया गया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया । तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/1148 दिनांक 25.04.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए गए है जिन पर वादिया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादिया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है जो कि न्यायोचित है इसलिए पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की जावे। बहस वादिया अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किए गए है इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/1148 दिनांक 25.04.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादिया अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सिकराय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	